न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

निगरानी सं. 10/2020

गिरीराज सिंह पुत्र श्री रूप सिंह आयु 65 वर्ष जाति राजपूत निवासी चक 13 एच. एम. एच. तहसील व जिला हनुमानगढ़।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत झाम्बर पंचायत समिति हनुमानगढ़ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत झाम्बर, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी, पंचायत समिति हनुमानगढ़ जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. विकास अधिकारी पंचायत समिति हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
4. रूकमादेवी पत्नी स्व0 श्री देवीलाल जाति भाट निवासी चक हरीपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थीयान

निगरानी प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध भूमि विक्रय विलेख (पट्टा) दिनांक 30.03.1991 प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 02.02.1991 जो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थीया संख्या 4 के पति के पक्ष में विधि विरूद्ध रूप से जारी किया है, बमुराद मन्सूखी उक्त विक्रय विलेख (पट्टा) व स्वीकार किये जाने निगरानी प्रार्थना—पत्र।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़ (राज0)

उपस्थितः— 1. श्री लालचन्द वर्मा अभिभाषक निगरानीकर्ता।
2. श्री शकुन्तला भाटीवाल अभिभाषक अप्रार्थी सं0 04
3. श्री संदीप ठक्कर अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01 ता 03

—:निर्णयः—

दिनांकः —29.08.2024

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/ निगरानीदार की ओर से इस प्रकार है कि प्रार्थी चक 13 एच. एम. एच. तहसील हनुमानगढ़ का खातेदार है तथा इस चक में प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है। चक 13 एच. एम. एच. के काश्तकारों के आवास हेतु तत्कालीन ग्राम पंचायत झाम्बर के क्षेत्राधिकार में चक 13 एच. एम. एच. में आबादी भूमि हेतु भूखण्ड नियोजित हुये थे। प्रार्थी ने इन भूखण्डों में से भूखण्ड संख्या ए—5 साईज 27 गुणा 40 वर्गगज निलामी में अप्रार्थी संख्या 1 से क्रय किया था जिसका दिनांक 23.6.1974 पट्टा, प्रार्थी के पक्ष में जारी फरमाया गया। उक्त भूखण्ड खरीद करने के पश्चात प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड पर चारदीवारी कर व कमरो का निर्माण कर अपनी रिहायश कर ली तथा इस भूखण्ड पर प्रार्थी ने विद्युत संबंध भी लिया हुआ है। प्रश्नगत भूखण्ड में वर्तमान में प्रार्थी का कामदार मुकेश पुत्र श्री हनुमान जाति नायक सपरिवार रह रहा है। चक 13 एच. एम. एच. की उक्त आबादी भूमि पूर्व में अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत झाम्बर के क्षेत्राधिकार में थी तथा वर्तमान में [illegible] पर यह आबादी भूमि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी के क्षेत्राधिकार [illegible] है। [illegible] एक सप्ताह पूर्व प्रार्थी को ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी के वर्तमान [illegible] भूखण्ड का पट्टा निरस्त हो चुका है तथा इस भूखण्ड का पट्टा दिनांक 30.03.1[illegible] को देवीलाल पुत्र नारा[illegible] के पक्ष में जारी हुआ है, इसलिए आप इस भूखण्ड को [illegible]ब खाली कर दो, हमें [illegible] भूखण्ड का कब्जा देवीलाल की पत्नी अप्रार्थीया संख्या 4 को देना है। अप्रार्थी संख्या 2 के वर्तमान सरपंच की बात सुनकर प्रार्थी अचम्भित रह गया तथा प्रार्थी ने पड़ताल की तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थीया संख्या 4 के पति के पक्ष में

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.09.03 10:34:59 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

जारी पट्टा व प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त करने की कार्यवाही से संबंधित कागजात की नकल चाही तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा के निरस्त होने व अप्रार्थीया संख्या 4 के पति के पक्ष में पट्टा जारी होने के संबंध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की रिपोर्ट दी।

प्रार्थी को ज्ञात हुआ है कि अप्रार्थीया संख्या 4 ने दिनांक 24.09.2020 को कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से सही व वास्तविक स्थिति छुपाते हुए अप्रार्थी संख्या 3 विकास अधिकारी पंचायत समिति हनुमानगढ़ के समक्ष प्रश्नगत भूखण्ड का कब्जा दिलवाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 3 विकास अधिकारी ने कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से एक कथित कमेटी गठित कर रिपोर्ट मांगी। उक्त कमेटी में ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत झाम्बर, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी व सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति, हनुमानगढ़ सदस्य मनोनित किये गये। उक्त तीनो व्यक्तियों ने बिना दस्तावेजों की जांच कर बिना भौतिक सत्यापन के कतई गलत रूप से प्रार्थी का पट्टा को जिलाधीश महोदय श्रीगंगानगर द्वारा निरस्त कर दिये जाने व भूखण्ड पर प्रार्थी का नोहरा बने होने की रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या 3 को दी। अप्रार्थी संख्या 3 ने भी कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर उक्त प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी संख्या 2 को अप्रार्थीया संख्या 4 को कब्जा दिलाने के आदेश अपने पत्र क्रमांक प.स.हनु./पंचायत/2020/2935 दिनांक 08.10.2020 से दिये तब सरपंच द्वारा बताये जाने पर प्रार्थी को सर्वप्रथम अप्रार्थीया संख्या 4 के पति के पक्ष में जारी कथित पट्टा दिनांक 30.03.1993 का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थीया संख्या 4 के पति देवीलाल पुत्र श्री नारायणराम के पक्ष में जारी पट्टा विलेख दिनांक 30.03.1991 कतई गलत व विधि विरुद्ध है। प्रार्थी इस पट्टा विलेख को निरस्त किये जाने हेतु यह निगरानी प्रार्थना–पत्र निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रहा हैः–

भूखण्ड संख्या ए–5 का पट्टा कथित रूप से अप्रार्थीया संख्या 4 के पक्ष में ग्राम पंचायत झाम्बर द्वारा कतई गलत व विधि विरूद्ध है। प्रश्नगत भूखण्ड संख्या ए–5 सन् 1974 से प्रार्थी के आधिपत्य व धारण में है। इस पट्टा विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कार्यालय अभिलेख में उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी को प्राप्त नहीं हो सकी है। अप्रार्थीया संख्या 4 के पति स्व० श्री देवीलाल के पक्ष में जारी कथित पट्टा की चित्रप्रति संलग्न निगरानी प्रार्थना पत्र है। प्रश्नगत भूखण्ड निलामी के दिवस से ही प्रार्थी के आधिपत्य व धारण में चला आ रहा है जिस पर प्रार्थी ने अर्सा दराज से निर्माण कर रिहायश की हुई है जिस पर प्रार्थी के नाम विद्युत संबंध भी प्राप्त किया हुआ है। आवंटन के दिवस से लेकर आज तक प्रार्थी उक्त भूखण्ड का बिना किसी बाधा के उपयोग व उपभोग कर रहा है। अप्रार्थीया संख्या 4 के पति के पक्ष में जारी कथित पट्टा फर्जी व कूटरचित है। अप्रार्थीया संख्या 4 के पति के पक्ष में वर्ष 1991 में विधि अनुसार कोई पट्टा जारी किया जाता तो अप्रार्थीया संख्या 4 अथवा उसके पति का प्रश्नगत भूखण्ड पर कब्जा होता अथवा उनके द्वारा कब्जा लिये जाने का प्रयास किया जाता। अप्रार्थीया संख्या 4 ने अपने द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं किया है कि उसके भूखण्ड पर किस व्यक्ति ने व कब कब्जा कर लिया। इससे यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अप्रार्थीया संख्या 4 के पति के पक्ष में जारी कथित पट्टा फर्जी है जो उन्होंने कतई गलत व विधि विरूद्ध रूप से तत्कालीन सरपंच से मिलीभगत कर बाद में तैयार किया है। कथित पट्टा विलेख में कोई मिसल नंबर नहीं है व ना ही पट्टा नंबर दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में कोई पत्रावली मुर्तिब नही हुई तथा ना ही अप्रार्थी संख्या 1 के प्रस[illegible] के विक्रय के संबंध में कोई प्रस्ताव लिया गया है। कथित निलामी में ज[illegible] राशि [illegible] भी कोई रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं है। अप्रार्थीया संख्या 4 [illegible] व अप्रार्थीया संख्या 4 ने इस पट्टा विलेख को गत 29 वर्षों में कहीं भी प्रकट नहीं किया। कथित पट्टा विलेख दिनांक 30.03.1991 पर भी तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। पट्टा विलेख में अंकित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 02.02.1991 को पारित नहीं हुआ व ना ही इस निलामी को कथित रूप से विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 08.04.1991 को पुष्टि की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.09.03 10:34:59 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज०)

प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा पूर्व में प्रार्थी के नाम जारी हो चुका है तथा उसी भूखण्ड का पट्टा ग्राम पंचायत को पुनः किसी अन्य व्यक्ति के नाम जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। जहां तक जिलाधीश श्रीगंगानगर के कथित आदेश का प्रश्न है, उक्त आदेश का प्रार्थी को कोई ज्ञान नहीं है तथा ना ही ऐसे किसी आदेश में प्रार्थी पक्षकार रहा है व ना ही उक्त आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थी व अन्य आवंटियों को कोई नोटिस दिया है व ना ही कोई सुनवाई की गई। एक क्षण के लिए यह मान भी लिया जावे कि ऐसा कोई आदेश पारित भी किया गया था तो भी ऐसे कोई आदेश का गत 46 वर्षों में कोई निष्पादन नहीं हुआ व ना ही प्रार्थी को निलामी राशि लौटाई गई व ना ही कब्जा प्राप्त किया गया। विधि अनुसार यह आदेश यदि अस्तित्व में भी था तो निष्प्रभावी हो चुका है। प्रश्नगत पट्टा विलेख जो दिनांक 30.03.1991 को जारी होने का उल्लेख है, से पूर्व ग्राम पंचायत ने प्रश्नगत भूखण्ड का कब्जा प्रार्थी से नहीं लिया तथा इस भूखण्ड पर निर्विवाद रूप से प्रार्थी काबिज रहा। इस प्रकार इस भूखण्ड पर प्रार्थी का कब्जा होने से व उसका निर्माण होने से इस भूखण्ड के संबंध में प्रार्थी का Plausible claim था। ग्राम पंचायत को इस भूखण्ड का पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं था। सन् 1991 तक भी प्रार्थी को प्रश्नगत भूखण्ड पर काबिज हुये 17 वर्ष से अधिक का समय हो चुका था तथा उसका प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रतिकूल धारण परिपक्व हो चुका था तथा आज भी प्रश्नगत भूखण्ड प्रार्थी के आधिपत्य व धारण में है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 को अप्रार्थीया संख्या 4 के पति के पक्ष में पट्टा विलेख जारी करने का कोई अधिकार नही था।

प्रार्थी ने अप्रार्थीया संख्या 4 के पति के पक्ष में जारी कथित पट्टा विलेख से संबंधित कागजात की नकल अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से चाही थी जिसके प्रतियुत्तर में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उक्त पट्टा से संबंधित कोई भी दस्तावेज अपने आधिपत्य व धारण में नहीं होने के कथन किये है। ग्राम पंचायत झाम्बर के क्षेत्राधिकार से संबंधित एक दीवानी वाद में भी यह साबित हो चुका है कि सन् 1991 में ग्राम पंचायत झाम्बर के तत्कालीन सरपंच द्वारा कोई अभिलेख संधारित नहीं किया व इस कारण इस अवधि का अभिलेख अप्रार्थी संख्या 1 के पास नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 के तत्कालीन सरपंच ने विधि विरूद्ध कार्यवाही कर अपने हितैषियों व्यक्तियों के पक्ष में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पट्टे जारी किये है। इससे भी यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 3 ने मिथ्या कमेटी गठित की तथा कथित कमेटी ने बिना किसी जांच व आधार के प्रश्नगत भूखण्ड अप्रार्थीया संख्या 4 के पति को आवंटित होने व पट्टा जारी करने की रिपोर्ट दी है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के पास वर्ष 1991 में अप्रार्थीया संख्या 4 के पति के पक्ष में पट्टा जारी करने से संबंधित कोई अभिलेख ही नहीं है तो उन्होनें उक्त भूखण्ड अप्रार्थी संख्या 4 को आवंटित करने की रिपोर्ट मिथ्या आधार पर दी है।

प्रार्थी को प्रश्नगत पट्टा विलेख दिनांक 30.03.1991 के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थी को उक्त पट्टा का ज्ञान दिनांक 24.09.2020 को अप्रार्थीया संख्या 4 द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड का कब्जा दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये पट्टा विलेख की चित्रप्रति प्राप्त करने पर हुआ है तथा ज्ञान होते ही यह निगरानी प्रार्थना पत्र ज्ञान के दिवस से अन्दर मियाद अविलम्ब प्रस्तुत किया जा रहा है। दिनांक 30.03.1991 से दिनांक 24.09.2020 तक की अवधि को माफ करने हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पृथक से प्रस्तुत है। अतः निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा अप्रार्थीया संख्या–4 के पति स्व0 श्री देवीलाल पुत्र श्री नारायणराम के पक्ष में जारी विक्रय विलेख (पट्टा) दिनांक 30.03.1991 को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तलबी की गयी। अप्रार्थीयान जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकार्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कथित पट्टा विलेख दिनांक 30.03.1991 पर भी तत्कालीन सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। पट्टा विलेख में अंकित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 02.02.1991 को पारित नहीं हुआ व ना ही इस निलामी को कथित रूप से विकास अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.09.03 10:34:59 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

द्वारा दिनांक 08.04.1991 को पुष्टि की गई। अतः निगरानी प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा अप्रार्थीया संख्या–4 के पति स्व0 श्री देवीलाल पुत्र श्री नारायणराम के पक्ष में जारी विक्रय विलेख (पट्टा) दिनांक 30.03.1991 को निरस्त फरमाया जावें। बहस में समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

1.DNJ 2016(4) Page 799 Raj.

2. DNJ 2009(1) Page 262 Raj.

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 01 ता 03 ने अपनी बहस में कथन किये कि ग्राम पंचायत झाम्बर पंचायत समिति हनुमानगढ़ द्वारा अप्रार्थीया संख्या–4 के पति स्व0 श्री देवीलाल पुत्र श्री नारायणराम के पक्ष में जारी विक्रय विलेख (पट्टा) दिनांक 30.03.1991 विधि सम्मत है, इसलिए निगरानीकर्ता का निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 04 ने अपनी बहस के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि निगरानी बिना आधार 30 साल बाद प्रस्तुत की गई है जो किसी भी तरह से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है । विवादित भूखण्ड संख्या ए 5 पर प्रार्थी गिरीराज सिंह का कब्जा कभी भी नहीं था। गिरीराज सिंह अपने परिवार सहित हनुमानगढ़ टाउन पुलिस कालोनी में रहता है। विवादित भूखण्ड प्रार्थी का रिहायशी नहीं है। दिनांक 23.06.1974 को विवादित भूखण्ड प्रार्थी को आवंटित हुआ था जो जिला कलैक्टर श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 22.10.1975 को मिसल जिला विकास अधिकारी श्रीगंगानगर पत्रावली संख्या 24/3/2/पंचायत/75 सरपंच झाम्बर के विरूद्ध शिकायत पर निरस्त कर दिया था। दिनांक 22.10.1975 को निरस्त किये जाने के बाद दिनांक 30.03.1991 को भूखण्ड संख्या ए–5 मिन अप्रार्थीया के पति स्व० देवीलाल को कीमतन 3500/– रूपये में भूखण्ड आवंटित हुआ था। दिनांक 21.01.1991 को 3500/– रूपये देवीलाल द्वारा जमा करवाये गये। तत्पश्चात दिनांक 30.03.1991 को प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 2.2.1991 के आधार पर भूखण्ड आवंटित किया गया था। वरवक्त आवंटन मौका पर भूखण्ड एकदम खाली था और उसके थोड़े समय बाद ही देवीलाल की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी और मिन अप्रार्थीया मानसिक व शारीरिक व आर्थिक रूप से कमजोर हो गई, बच्चे छोटे थे, ससुराल वालो ने घर से निकाल दिया था इसलिए मिन अप्रार्थीया अपने बच्चों सहित गांव रोडावाली में पिता व भाईयों के घर आ गई थी व पिता व भाईयों के साथ जाकर अपने भूखण्ड को संभालकर आती थी लेकिन निर्माण के लिए मिन अप्रार्थीया के पास रूपये नहीं थे, बच्चे बड़े होने के बाद मिन अप्रार्थीया ने अपने पति के नाम से आवंटित शुदा भूखण्ड पर वर्ष 2015 में निर्माण कार्य करने के लिए ईंटे डलवाई थी, उस समय गिरीराज के पुत्र हनुमान सिंह, भगवान सिंह वगैरा ने लड़ाई झगड़ा किया और निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न की थी तब मिन अप्रार्थीया ने दिनांक 03.11.2015 को फिर 19.11.2015 को पुलिस थाना हनुमानगढ टाउन में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर थाना से मदद मांगी थी कि प्रार्थी व उसके पुत्रों को पाबंद किया जावे ताकि मिन अप्रार्थीया अपना निर्माण कार्य कर सके लेकिन पीएस हनुमानगढ थानाधिकारी द्वारा मिन अप्रार्थीया को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया गया इसलिए दिनांक 07.12.2015 को मिन अप्रार्थीया ने एस पी साहब हनुमानगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन प्रार्थी राजनैतिक व आर्थिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति था, इसलिए मिन अप्रार्थीया का सारा घरेलू सामान व ईटे आदि जब्त कर लिया। उसके बाद मिन अप्रार्थीया गंभीर रूप से बीमार हो गई और जयपुर में उपचाराधीन रही, लगातार 6 महिने तक बीमारी की अवस्था में रही व आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण निर्माण कार्य नहीं करवा सकी। मिन अप्रार्थीया अब निर्माण कार्य करवा रही थी तो प्रार्थी व उसके पुत्रों ने पुनः मिन अप्रार्थीया के साथ लड़ाई झगड़ा किया [illegible] में बाधा उत्पन्न कर दी। जब चारो तरफ से असहाय महसूस होने पर मिन अप्रार्थीया ने पुलिस प्रशासन व विकास अधिकारी व सरपंच से अपने निर्माण कार्य को करवाने के लिए मदद मांगी जिस पर विकास अधिकारी द्वारा मौका की जांच करवाई [illegible] बैठाकर मौका की समस्त कार्यवाही की गई। विकास अधिकारी द्वारा मिन अप्रार्थीया की मदद की जा रही थी व मिन अप्रार्थीया को निर्माण कार्य करवाने में पुलिस की सहायता दी जानी थी उसमें रूकावट पैदा करने के लिए प्रार्थी द्वारा अर्सा करीब 30 साल बाद मिथ्या आधारों पर रिविजन प्रस्तुत की है। अतः अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र खारिज

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.09.03 10:34:59 IST
Reason: SelfAttested

फरमाया जाने का निवेदन किया गया। बहस में समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

1.DNJ 2024 (2) Page 564 SUPREME COURT OF INDIA

2. DNJ 2024 (1) Page 203 RAJASTHAN HIGH COURT.

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्घृत न्यायिक नजरों पर मनन किया गया।

1. प्रकरण में प्रथमतः विलम्ब के बिन्दू का निस्तारण किया जाना है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम 1963 का अवलोकन किया, इसमें निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र दिनांक 15.10.2020 के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम में निगरानीकर्ता द्वारा द्वारा प्रश्नगत पटटा दिनांक 30.03.1991 के संबंध में निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने तक की अवधि तक देरी का कारण स्पष्ट नहीं किया है। माननीय नजीर न्यायालय द्वारा समय–समय यह मत प्रतिपादित किया है कि विलम्ब माफी हेतु दिन–प्रतिदिन विलम्ब का कारण स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। अभिभाषक निगरानीकर्ता द्वारा लगभग 30 साल बाद इस पट्टा को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय में निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की है, जिसका स्पष्ट कारण उल्लेख नहीं किया है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना मियाद बाहर है, अवधि में छूट पाने का हकदार नहीं है। ऐसी स्थिति में निगरानी प्रार्थना पत्र मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

2. ग्राम पंचायत झाम्बर पंचायत समिति हनुमानगढ द्वारा जारी भूमि विक्रय विलेख (पटटा) दिनांक 30.03.1991 प्रस्ताव सं0 02 दिनांक 02.02.1991 द्वारा अप्रार्थीया सं0 04 के पति देवीलाल के पक्ष में विधिवत प्रक्रिया अपनाकर जारी किया गया है। विकास अधिकारी कार्यालय पंचायत समिति हनुमानगढ की रिपोर्ट दिनांक 08.10.2020 की अनुसार ग्राम पंचायत अमरपुराथेड़ी के चक 13 एचएमएच के भूतपूर्व सरपंच व उपसरपंच ग्राम पंचायत झाम्बर के बयान के अनुसार आवंटी देवीलाल पुत्र नारायणाराम को प्लॉट सं0 ए–5 आवंटित किया गया था तथा श्रीमान जिलाधीश श्रीगंगानगर द्वारा 23.06.1974 को बने पटटो को निरस्त किये गये हैं।

अतः निगरानी प्रार्थना पत्र मियाद अवधि से बाहर होने के कारण एवं निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न होने से खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत झाम्बर पंचायत समिति हनुमानगढ द्वारा जारी भूमि विक्रय विलेख (पटटा) दिनांक 30.03.1991 जो देवीलाल पुत्र नारायणराम को जारी है, को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापिस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

(उम्मेदी लाल मीना)

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.09.03 10:34:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
हनुमानगढ